

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अदालत जयपुर

मंगल-15 बनाम जोधन बल

मुकदमा संख्या/वर्ष 211/2018 : _____ / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	क्र० संख्या/वर्ष
	31/1/18	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/1/18 को पेश हों।	
	28/1/18	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/5/18 को पेश हों।	
	14/5/18	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/6/18 को पेश हों।	
	14/6/18	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/7/18 को पेश हों।	
	24/7/18	पत्रावली पेश हुई। जाची व उनके जाची उपस्थित नहीं। न्याय अदालत जाची व उनके अधिवक्ता को वाट-वाट आवान्त लगाई गई। जाची व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से जाची की अर्जता पत्र अक्षम बनती अक्षम देवी के कारिज किया जाता है। पत्रावली पेश करने शुभाहोपकृत दर्ज नमूने के अंगुष्ठ का प्रमाण दाखिल उपस्थित है।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिला (र)